मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 66400/97

प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर ग्रेप नौटंकी शुरू 3
मोदी की तारीफ के बाद मनोहर लाल को बदलने की चर्चाओं पर लगाम 4
राम रहीम और चार अन्य को आजीवन कारावास 5
लोग कोरोना से मर रहे थे और मोदी सरकार के मंत्री संपत्ति ख़रीद रहे थे 6
सिंघु बॉर्डर पर लखबीर की हत्या,कृषि मंत्री तोमर के कनेक्शन की जांच 8

वर्ष 35 | अंक 50 | फरीदाबाद | 24-30 अक्टूबर 2021 | फोन-8851091460 | ₹3.00

शिक्षा विभाग में लुटेरों का वर्चस्व

खट्टर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं

फ़रीदाबाद (म.मो.) करदाता से वसूले गए पैसे को लूटने में वैसे तो कोई भी सरकारी विभाग पीछे रहने को तैयार नहीं परंतु शिक्षा विभाग सबसे अव्वल आने की होड में लगा है। सरकार चाहे चौटालों की रही हो या काँग्रेसियों की अथवा खट्टर सरीखे "देशभक्तों" की, लुटेरों की सदैव ही पौ-बारह रही है।

मौजूदा मामला एक संस्कृत अध्यापक यतिद्र कुमार का है। उन्हे 2011 में सेहतपुर के तत्कालीन हाई स्कूल की डीडी पावर यानि सरकारी खजाने से पैसा निकालने व खर्च करने की शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। वैसे यह शक्ति स्कूल के मुख्य अध्यापक अथवा प्रिन्सीपल के पास ही होती हैं। परंतु यतिद्र जैसे घाघ लुटेरों को लूट का अवसर प्रदान करने के लिए ऐसी परिस्थितियाँ उन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा बना दी जाती हैं जिन्हे होने वाली लूट में से बराबर हिस्सा मिलता है। इसी हिस्सेदारी के चलते वे अधिकारी उसे तमाम तरह की जांच पड़तालों आदि से बचाए रखने में भी पूरा सहयोग देते हैं।

फ्रॉड मास्टर यतिन्द्र कुमार

भ्रष्टाचार की नोंक पर खड़ा स्कूल का खंडहर

अपनी इस डीडी पावर का दुरुपयोग करते हुए यतिद्र नें 2011 से 2014 के बीच 3716004 रुपये की वह रकम हड़प ली जो बच्चों की ड्रेस व कॉपी किताब आदि के लिए सरकार के सर्वशिक्षा अभियान के तहत भेजी गई थी। इस बाबत शिकायतें होना तय था, जो हुई भी। जांच हुई तो तमाम फर्जी बिलों का खुलासा भी हो गया। जांच रिपोर्ट नीचे से ऊपर व ऊपर से नीचे घूमती रही पर कार्यवाही कोई नहीं हुई। कार्यवाही करता कौन?

कार्यवाही करने वाले तो खुद इस लूट-मार में शामिल थे। मामला सीएम विंडो तक पहुंचा, वहाँ से यह मामला जिले में नई-नई तैनात हुई मौलिक शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी के हत्थे चढ़ गया। उनके सख्त एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा निदेशालय को यतिद्र के विरुद्ध मुंह दिखावे की कार्यवाही करते हुए निलंबित करना पड़ा। खट्टर सरकार की इस कार्यवाही पर सरकार की पीठ थपथपाते हुए खट्टर के एक प्यादे भूपेश्वर दयाल ने इसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही बताते हुए अखबारों में खबर छपवा डाली।

सुधी पाठक भली-भांति समझ लें कि आजकल निलंबित होने का मतलब क्या रह गया है। इसका मतलब है वेतन सहित लंबी छुट्टी। जी हाँ, कुछ माह तक आधा वेतन, फिर 75 प्रतिशत और बहाल होने पर पिछला काटा गया पूरा वेतन भी वापस मिल जाना है। यतिद्र के साथ भी यही होने वाला है।

यतिद्र ने सेहतपुर के इसी स्कूल में सन् 2009 से 2013 तक 68 लाख की लागत से 18 कमरों का निर्माण कराया। निर्माण कार्य में लगे माल एवं इमारत की खस्ता हालत को देखकर गाँव वालों ने शिकायत तो करनी ही थी सो हुई भी, लेकिन खेला-खाया यतिद्र कब इस तरह की शिकायतों की परवाह करने वाला था। उसे इस तरह की शिकायतों से निबटने के तौर तरीकों का पूरा ज्ञान है।

सन 2016-17 में इस मामले की जांच के लिए कुरुक्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेज (एनआईटी) से आए विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम ने जांच करके इमारत को खतरनाक घोषित करते हुए गिरा देने की सिफारिश की थी। शिक्षा निदेशालय ने रिपोर्ट से सहमत होकर इमारत गिराने व यतिद्र के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के आदेश दिए। लेकिन खबर लिखे जाने तक बिल्डिंग भी ज्यों की त्यों कायम है और लूटेरा यतिद्र भी। उसे इस देश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि न तो उससे उक्त रकम की रिकवरी होने वाली है और न ही उसकी जेल होने वाली है। अपने इसी विश्वास के भरोसे वह महीनों-महीनों स्कूल से गायब रह कर भी वेतन वसूलने की महारत रखता है। महीनों गैरहाजिर रहने के बाद वह फर्जी दस्तावेजों के बल पर अपनी हाजिरी किसी ऐसे सरकारी काम पर दिखा देता है जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा होता।

दरअसल, यतिद्र तो लूट के इस बहुत बड़े खेल का एक अदना सा खिलाड़ी है। असल खिलाड़ी तो वे उच्चाधिकारी हैं जो यतिद्रों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग जिला स्तर से लेकर चंडीगढ़ मुख्यालय तक अपना मकड़ जाल बिछाए बैठे हैं। इन बड़े खूंखार शिकारियों की सलाह एवं मार्गदर्शन पर सर्वशिक्षा अभियान जैसे पाखंड खड़े किये जाते हैं वरना कोई पूछे जनता के इन दुश्मनों से कि एक अध्यापक को इतनी बड़ी-बड़ी रकमें सौंप कर उससे उक्त काम करवाने का क्या मतलब? शिक्षा विभाग को ढंग से चलाने के बजाय उसके साथ इस तरह के प्रोजेक्टों को जोड़ने का मतलब लूट के नए-नए अवसर प्रदान करना नहीं तो क्या है?

डीडीओ पावर का खेल

जब किसी स्कूल का मुखिया यानी हेडमास्टर या प्रिंसिपल रिटायर हो जाए अथवा किसी अन्य वजह से वह न रहे तो डीईओ (जिला शिक्षा अधिकारी) उसी स्कूल के वरिष्ठतम अध्यापक को वहाँ का मुखिया नियुक्त करके डी डी ओ पावर उसके हवाले कर देता है। सेहत पुर के इस स्कूल में मुखिया के रिटायर होने पर तत्कालीन डी ई ओ मूलचंद ने 9 वरिष्ठ अध्यापकों को दरकिनार करते हुए यतिन्द्र को मुखिया बना कर डी डी ओ पावर उसे सौंप डी थी।

उस जमाने में स्कूल मुखिया को गेस्ट टीचर नियुक्त करने का अधिकार होता था। इसका लाभ उठाते हुए डीईओ मूलचंद ने अपनी किसी चहेते को यतिन्द्र के द्वारा गेस्ट टीचर नियुक्त कराया। इस तरह की नियुक्ति कोई अपराध नहीं होती परंतु किसी गेस्ट टीचर का लगातार तीन साल तक स्कूल न आना और पूरा वेतन वसूलना जरूर एक बड़ा अपराध है, जो मूलचंद की चहेते ने यतिन्द्र की कृपा से लगातार किया। हाजिरी रजिस्टर में तमाम हाजिरियाँ एक ही दिन लगा दी जाती थीं। इस मामले की शिकायत वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ी है।

गजब तो तब हो गया जब मूलचंद ने सेक्टर 21-डी के मिडल स्कूल में मुखिया के रिक्त पद पर यतिन्द्र को ही अतिरिक्त रूप से नियुक्त करके यहाँ की भी डी डी ओ पावर उसे सौंप दी। यानी सेहतपुर स्कूल में तैनाती के साथ-साथ 20 कीलोमीटर दूर स्थित दूसरे स्कूल का चार्ज भी सौंप दिया गया। क्यों? क्योंकि इस स्कूल में भी 2-3 नए कमरे बनाने के लिए 3-4 लाख रुपये मिलने वाले थे, जो मिले भी और डकारे भी गए।

किसी महकमे में इतनी खुली व बेशर्मी से लूट कैसे हो सकती है जबकि स्थानीय स्तर पर एडीसी व राज्य स्तर पर पूरा निदेशालय बैठा है? जी हाँ संभव है, इसलिए कि सारे के सारे तो चोर हैं, ऊपर से नीचे तक। इसी के चलते बार-बार शिकायतें भी बेअसर हैं।

2018 में मैनहोल की भेंट चढ़े थे 2 लोग, अधिकारियों को सजा हुई होती तो अब महिला न गिरी होती

फ़रीदाबाद (म.मो.) सन 2018 में बाईपास रोड पल्ला चौक पर एक खुले मैनहोल में रेखा नामक महिला गिरी तो राह चलता लक्ष्मण उसे बचाने उतरा और दोनों ही मारे गए। दोषी पाए जाने पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने एमसीएफ से 5-5 लाख रुपये दोनों के परिजनों को दिलाकर मामला निबटा दिया।

यदि उस समय मामले का पूरा संज्ञान ले लिया गया होता तो बीते वीरवार को जवाहर कालोनी में शिशु सहित महिला मैनहोल में न गिरी होती। इस तरह के मामलों में उचित संज्ञान लेने के लिए न तो किसी मानवाधिकार आयोग की जरूरत होती है और न ही किसी विशेष कानून की। केवल, मौजूदा आपराधिक न्याय व्यवस्था के तहत एफआईआर दर्ज करके संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विधि अनूरूप कार्यवाही करते हुए उन्हे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था और उनकी व्यक्तिगत संपत्ति से 25-25 लाख रुपये वसूल करके पीड़ित परिवारों को दे दिया गया होता तो आज यह कांड न देखना पड़ता। यह तो केवल इत्तेफाक की बात है कि महिला को बचाने के लिए राह चलता एक युवक मैनहोल में कूदा और बच्चे सहित दोनों जीवित निकल आए, वरना रेखा व लक्ष्मण की तरह मर भी सकते थे।

वैसे रेखा व लक्ष्मण वाला मामला कोई इकलौता मामला नहीं है। इससे पहले भी

दर्जनों लोग इन खुले मैनहोलों की भेंट चढ़ चुके हैं। एमसीएफ द्वारा की जाने वाली यह सभी हत्याएं रोकी जा सकती थीं। यदि ऐसी पहली हत्या पर ही संबंधित अधिकारियों को कानून के लंबे व कड़े हाथ दिखा दिए गए होते। दोषी अधिकारियों को यह जता दिया जाता कि सार्वजनिक सेवाएं देने का अधिकार उन्हे यह हक नहीं देता कि वे आम नागरिकों की जान के ही ग्राहक बन जाए। जवाहर कालोनी वाले मौजूदा हादसे में भी खबर लिखे जाने तक पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। अपने इस कर्तव्य से बचने के लिए पुलिस प्रवक्ता कहते हैं कि कोई शिकायत लेकर उनके पास आएगा तो वे कार्यवाही करेंगे। यह सब अपने उत्तरदायित्व से बचने की बहानेबाजी मात्र है। यदि पुलिस की नीयत वास्तव में ही कुछ करने की होती तो सबंधित पुलिस अधिकारी खुद पीड़ितों के पास जाकर उन्हे विश्वास दिलाता कि पुलिस उनके साथ है और उन्हे इंसाफ दिलाने के लिए समुचित कार्यवाही की जाएगी।

सवाल उठता है कि जब सड़क पर कोई हादसा होता है तो कौन पुलिस को शिकायत देने जाता है, सूचना मिलते ही पुलिस स्वत: घटना स्थल पर पहुँच कर कार्यवाही करती है। यह बात अलग है कि मौके पर कार्यवाही क्या करती है, सांप को रस्सी बनाती है या रस्सी को सांप।